

(SPEED POST)

No. IFCI/RTI/1302/2024 - 240520014

Dated:20/05/2024


To,



Dear Sir,

Re: RTI Application bearing registration number IFCIL/R/E/24/00022 dated 24/04/2024 – Reply on behalf of IFCI Ltd. under the provisions of the RTI Act, 2005

- 1) Please refer to the aforesaid application filed under the provisions of the RTI Act, 2005.
- 2) In response to your query no.1 & 2, it is stated that various aspects governing the retiral benefits like pension and gratuity are governed by respective scheme documents. The documents pertaining to Pension Scheme are available on IFCI website. IFCI Gratuity Regulation, 1968 are attached.
- 3) In response to your query no.3 & 4, it is stated that information sought is so specific that it will lead to identification of officer(s) and therefore, information sought is personal in nature and hence, exempted under section 8(1)(h). Apart from being personal information, its disclosure has no relationship to any public activity or interest, and it would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual, hence, the same cannot be shared.
- 4) The details of First Appellate Authority for preferring an appeal within a period of 30 days is – Shri Atul Saxena, CGM, First Appellate Authority, IFCI Limited, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi-110019.



(केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, आईएफसीआई लिमिटेड)

आई एफ सी आई लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:

आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019

दूरभाष: +91-11-4173 2000, 4179 2800

फैक्स: +91-11-2623 0201, 2648 8471

वेबसाइट: www.ifcilttd.com

सीआईएन: L74899DL1993GOI053677

IFCI Limited

Regd. Office:

IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi - 110 019

Phone: +91-4173 2000, 4179 2800

Fax: +91-11-2623 0201, 2648 8471

Website: www.ifcilttd.com

CIN: L74899DL1993GOI053677



भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
Industrial Finance Corporation of India
[औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) के अधीन निगमित]
[Incorporated under the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (XV of 1948)]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
(कर्मचारियों को उपवान संदाय) विनियम, 1968
Industrial Finance Corporation of India
(Payment of gratuity to employees) Regulations, 1968

Industrial Finance Corporation of India

[Incorporated under the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (XV of 1948)]

Industrial Finance Corporation of India (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 1968

In exercise of the powers conferred by Section 43 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (XV of 1948), the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India (hereinafter referred to as "Corporation"), after consultation with the Industrial Development Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following Regulations, namely—

Short title and commencement.

1. (1) These Regulations may be called the Industrial Finance Corporation of India (Payment of Gratuity to employees) Regulations, 1968.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1968.

Power to interpret.

2. The power to interpret these Regulations vests in the Chairman of the Corporation (which expression shall include the person appointed to discharge the functions of the Chairman for the time being in terms of Section 13A of the Industrial Finance Corporation Act, 1948), who may authorise the issue of such administrative instructions as may be necessary to give effect to these Regulations.

Definitions.

3. In these Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(1) "average pay" in relation to an employee means the average of (a) the substantive pay applicable to him, as defined herein, (b) officiating pay, (c) special pay, (d) personal pay, and (e) any other emoluments classified as 'pay' by the Corporation;

Pay

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

[औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का XV) के अधीन निगमित]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (कर्मचारियों को उपदान संदाय) विनियम, 1968

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का XV) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (जिसे आगे "निगम" कहा गया है) के निदेशक बोर्ड ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से परामर्श करने के बाद और भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए हैं, जो इस प्रकार हैं—

संक्षिप्त नाम
तथा प्रारम्भ

1. (1) इन विनियमों को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (कर्मचारियों को उपदान संदाय) विनियम, 1968 कहा जाएगा।

(2) ये जनवरी, 1968 के पहले दिन से लागू माने जाएंगे।

निबंधन को शक्ति

2. इन विनियमों के निबंधन की शक्ति निगम के अध्यक्ष (इस अधिनियम में बहू उल्लिखित भी शामिल होंगे जो औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 13क के अधीन कुछ समय के लिए अध्यक्ष के कार्य निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया गया हो) में निहित होंगी जो इन विनियमों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुदेश जारी करने का प्राधिकार देगा।

परिभाषाएं

3. इन विनियमों में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो—

(1) किसी कर्मचारी के संबंध में "औसत वेतन" का अर्थ है

(क) उस पर लागू मूल वेतन, जिसकी यहाँ व्याख्या की गई है,

(ख) स्थानापन्न वेतन, (ग) विशेष वेतन, (घ) वयवित्तक वेतन,

और (ङ) कोई अन्य परिनिबंधित जिन्हें निगम ने "वेतन"

के रूप में वर्गीकृत किया हो,

(2) "date of retirement" means—

- (a) in the case of an employee who retires or is retired in accordance with the terms and conditions of his service, the date on which he so retires or is retired; and
- (b) in the case of any other employee, the date from which he ceases to be in the Corporation's service;

and the expression 'month of retirement' shall be construed accordingly.

(3) "pay" means—

- (a) in the case of an employee who has been on leave continuously for a period of twelve months or more immediately preceding his date of retirement, the substantive pay at such date or the average pay earned while on duty during the twelve calendar months immediately preceding the month in which he proceeded on leave, whichever is higher;
- (b) in any other case, the substantive pay at his date of retirement or the average pay earned while on duty during the twelve calendar months immediately preceding the month of retirement, whichever is higher.

(4) "substantive pay" means in relation to an employee, the pay to which he is entitled in the scale of pay applicable to the post held by him substantively.

(5) "service in the Corporation"—

- (a) includes the period of an employee's continuous temporary service immediately preceding his confirmation;

(2) "सेवानिवृत्ति की तारीख" का अर्थ है—

- (क) किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में जो उसकी सेवा की शर्तों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होता है, या सेवानिवृत्त किया जाता है, वह तारीख जिसको वह इस प्रकार से सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त किया जाता है; और

(ख) किसी अन्य कर्मचारी के मामले में— वह तारीख जिससे वह निगम की सेवा में नहीं रहता;

और "सेवानिवृत्ति का मास" अभिव्यक्ति का अर्थ भी इसी के अनुसार माना जाएगा।

(3) "वेतन" का अर्थ है—

- (क) किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में जो अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से ठीक पहले बारह महीने या इससे अधिक अवधि तक लगातार छुट्टी पर रहा हो, उस तारीख को उसका मूल वेतन या जिस महीने वह छुट्टी पर गया हो उस महीने से ठीक पहले बारह कलेंडर महीनों में छुट्टी पर रहते हुए उसके द्वारा अर्जित औसत वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो;

(ख) किसी अन्य मामले में उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख को उसका मूल वेतन या सेवानिवृत्ति के महीने के ठीक पहले बारह कलेंडर महीनों में छुट्टी पर रहते हुए उसके द्वारा अर्जित औसत वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

(4) किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में "मूल वेतन" का अर्थ उस वेतन से है जो कर्मचारी धारित मूल पर से सम्बद्ध वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का पात्र है।

(5) "निगम में सेवा" में—

- (क) किसी कर्मचारी के छुट्टीकरण से ठीक पहले की उसकी लगातार अस्थायी सेवा की अवधि शामिल है;

(b) includes the period during which an employee is on duty or on leave duly authorised by a competent authority;

(c) does not include any period during which an employee is absent from duty without permission or overstays his leave unless specifically permitted by a competent authority.

REGULATION 3(6). (New Rule)

Conditions of grant.

(6) "Dearness Allowance" means the allowance granted by the Corporation as dearness allowance to its employees at such rates and subject to such condition as may be determined by the Corporation from time to time.

ty to such person or persons as may be determined in accordance with Regulation 8; but nothing in these Regulations shall be construed as conferring any right or benefit on any employee whose service in the Corporation is governed by a contract expressly stipulating his service to be for a specified period.

When not admissible.

5(1) No gratuity will be granted to or in the case of an employee if he has not completed service in the Corporation for a minimum period of ten years;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), gratuity will be granted to, or in the case of, an employee who has not completed service in the Corporation for a minimum period of ten years, if—

(i) he dies while in service of the Corporation; or

(ii) he has retired, or has been required to retire, either on account of certified permanent incapacity due to bodily or mental infirmity or owing to the abolition of his appointment on account of reduction of establishment; or

(ख) वह अवधि शामिल है जिसके दौरान कोई कर्मचारी इप्टी अवकाश पर रहा है अथवा सशम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत छुट्टी पर रहा है;

(ग) ऐसी कोई अवधि शामिल नहीं है जिसके दौरान कोई कर्मचारी इप्टी से अलग अलग सुविधा प्राप्त कर रहा है या स्वीकृत छुट्टी से अधिक दिनों अनुपस्थित रहा है अथवा किसी सशम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत अतिरिक्त प्रदान की जाने वाली छुट्टी पर रहा है।

दिए जाने की शर्त 4. अनुवर्ती विनियमों में दी गई शर्तों, निर्धारणों और अनुवर्ती विनियमों के अधीन निगम में सेवा को समाप्ति पर किसी विधायक कर्मचारी को या उपदान प्राप्त करने से पूर्व किसी स्टाफ कर्मचारी को मृत्यु हो जाने की स्थिति में, जैसा कि विनियम 8 में विधायक किया जाए, के अनुसार उपदान दिया जाएगा; किन्तु इन विनियमों से यह अर्थ न लिया जाए कि किसी ऐसे कर्मचारी को कोई अधिकार या लाभ प्राप्त होगा जिसकी निगम में सेवा किसी ऐसी संविदा द्वारा शामिल है जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि उसकी सेवा एक विनिश्चित कालावधि के लिए है।

कब अनुक्रम नहीं 5. (1) किसी ऐसे कर्मचारी को या किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में कोई उपदान नहीं दिया जाएगा जिसने निगम में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा नहीं की है;

(2) उपविनियम (1) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, किसी कर्मचारी को या किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में उपदान दिया जाएगा जिसने निगम में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा नहीं की है, बसंत कि—

(i) निगम की सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है; या

(ii) शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता के फलस्वरूप प्रमाणित स्थायी अक्षमता के कारण वह सेवानिवृत्त हो जाता है या उसे सेवानिवृत्त होने के लिए कहा जाता है अथवा स्थापना में किसी के कारण उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाती है; या

(b) If no such nomination has been made, or is subsisting, the person or persons to whom the amount of gratuity shall be paid and the proportion in which the amount shall be distributed among them, shall be determined by the Chairman of the Corporation.

Board's Powers
in regard to
grant of gratuity
to the employees of
the Corporation
ceased to be in
service on or
after 1-7-1965

9. The Board may, in its discretion, grant gratuity upto an amount not exceeding the amount admissible under these Regulations to any employee who may have ceased to be in the service of the Corporation on or after the first day of July, 1965, provided he would have been eligible for gratuity under these Regulations had these Regulations been in force on that day.

(ख) यदि इस प्रकार का कोई मामला न किया गया वा विद्यमान हो, तो निगम का अध्यक्ष इस बात का निर्धारण करेगा कि उपदान की राशि किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को अदा की जाए और राशि किस अनुपात में वितरित की जाए।

निगम के उन कर्मचारियों को उपदान देने के संबंध में बोर्ड की शक्तियां जो 1.7.1965 को या इसके बाद से बाध नहीं रहे

9. बोर्ड अपने स्व-विवेक से किसी ऐसे कर्मचारी को उपदान की उतनी राशि दे सकता है जो इन विनियमों के अधीन अनुभवी राशि से अधिक नहीं होगी, जो जुलाई, 1965 के पहले दिन या इसके बाद निगम की सेवा में नहीं रहा, बशर्ते कि उस दिन यदि ये विनियम लागू होते तो वह इन विनियमों के अधीन उपदान का पात्र होता।